न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम्, सीवान।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 1166 / 2026</u>

दरौंदा थाना कांड संख्या– 181 / 26

अंतर्गत धारा 109, 3(5) BNS एवं 27 arms Act

<u>06.08.2026</u>

आवेदक अभियुक्त 1.अनुप सिंह उर्फ अनुप कुमार सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिनांक 06.08.2026 को एक आवेदन उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने हेतु दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को भी उपलब्ध करायी गयी है। आवेदक अभियुक्त 1.अनुप सिंह उर्फ अनुप कुमार सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद के कांड दैनिकी से आवेदक 1.अनुप सिंह उर्फ अनुप कुमार सिंह का नाम अनुप्रेषित हो गया। जिससे गिरफ्तारी की आशंका नहीं है। इसलिए उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0– 1166 / 26 वापस लेने की अनुमति दिया जाए।

अपर लोक अभियोजक विरोध नहीं करते हैं।

उभय पक्ष को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष के निवेदन एवं सहमती से बचाव पक्ष द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0– 1166 / 26 को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

ह0 / –

(सुशान्त रंजन)

जिला एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश, नवम्,

सिवान।

06.08.2026